मेहनतकशों का पैग़ाम — मेहनतकशों के नाम

मज़दूर मोर्चा

साप्ताहिक

Email : mazdoormorcha1987@gmail.com
www.mazdoormorcha.com

Postal Reg. No. L/H.R/FBD/463-06 /R.N.I. No. 66400/97

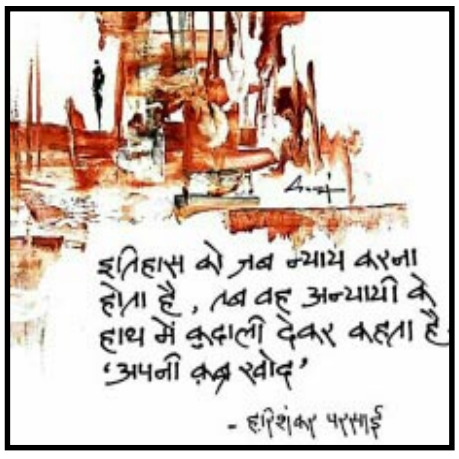

गुंडागर्दी से राहत 3
चौकीदार है साझीदार 4
पोक्सो की तलवार 5
आश्वासन से चलाएंगे कॉलेज 8

वर्ष 31 | अंक -33 | फ़रीदाबाद | 12-18 अगस्त 2018 | फोन : - 9999595632 | ₹2.50

बुढ़िया नाले पर मंत्री कृष्णपाल करें कब्जा तो जायज, अन्य का नाजायज़

फ़रीदाबाद (म.मो.) अरावली की पहाड़ियों से बरसाती पानी को यमुना नदी तक ले जाने वाला सदियों पुराना बुढिया नाला आजकल जगह-जगह कब्ज़ों का शिकार हो रहा है। अपनी राजनैतिक ताकत के बल पर स्थानीय सांसद एवं केंद्रीय मंत्री कृष्णपाल गूजर ने एनएचपीसी चौक के निकट, नाले के दक्षिणी किनारे पर करीब एक एकड़ ज़मीन पर अवैध कब्ज़ा कर के उस पर राजमार्ग के साथ लगते हिस्से पर धर्म कांटा तथा उसके पिछवाड़े एक आलीशान बैंक्वेटहॉल का निर्माण कर के अपने मौसेरे भाई धर्मबीर के हवाले कर दिया है।

इस प्राचीन बरसाती नाले की चौड़ाई को घटाते हुये इसमें मलबा भर कर ज़मीन निकाली गयी है। दिनांक 7 अगस्त को जब यह संवाददाता मौके पर पहुंचा तो नाले की भराई का काम चल रहा था। जाहिर है इस प्रक्रिया से अभी हज़ारों गज़ ज़मीन राजमार्ग के किनारे और हजम की जा रही है।

कहने की जरूरत नहीं कि बदरपुर बॉर्डर के निकट राजमार्ग से सटी यह ज़मीन बेशकीमती होने के साथ-साथ मेवला गांव की यह ज़मीन व नाला हरियाणा सरकार के सिंचाई विभाग के अन्तर्गत है। जिस हिसाब से नाले की भराई करके अवैध निर्माणों का सिलसिला चल रहा है इस से एक दिन यह नाला ही बंद हो जायेगा और यहां वही स्थिति बन सकती है जो गत वर्ष गुड़गांव में बनी थी, जब बरसाती पानी की निकासी अवरुद्ध होने के चलते राष्ट्रीय राजमार्ग जलमग्न हो गया था और लोग रात भर जाम में फ़ंसे रहे। हर बरसात में मुंबई के डूबने के पीछे भी ऐसे ही कारण हैं।

ज़मीन बेशक सिंचाई विभाग की है लेकिन किसी भी भूखंड पर निर्माण कार्य के लिये नगर निगम अथवा 'हूडा' से तो नक्शा पास कराना ही पड़ता है। जबकि सरकारी ज़मीन पर बनने वाले इन अवैध निर्माणों को बनने से रोकना या तोड़ना तो दूर किसी भी अफ़सर की उधर झांकने तक कि हिम्मत नहीं पड़ती। क्योंकि कोई भी अफ़सर मंत्री कृष्णपाल से बिगाड़ कर अपनी नौकरी बिगाड़ना नहीं चाहता।

राष्ट्रीय राजमार्ग के पश्चिम की ओर ग्रीनफ़ील्ड कॉलोनी के निकट इसी नाले पर कुछ अन्य लोगों ने भी अवैध कब्ज़े करके कमरे बना लिये थे। लेकिन वे सब कृष्णपाल के विरोधी धड़े से सम्बन्धित थे, लिहाज़ा उनके कब्ज़ों व निर्माणों को अवैध बता कर दो माह पूर्व धराशाही कर दिया गया था। इसी का नाम तो सरकार है। कृष्णपाल सरीखे करोड़ों रुपये केवल इस लिये चुनाव पर खर्च नहीं करते कि उन्हें सांसद बन कर जनता की सेवा करनी है; बल्कि इसलिये करते हैं कि सत्ता में भागीदारी होने के चलते खूब सारा मेवा खाया जा सके, जो वे बीते साढे चार साल से पचाने में जुटे हैं।

बिजली चोर को भी बचाने पहुंची विधायक सीमा त्रिखा

फ़रीदाबाद (म.मो.) अभी पुलिस द्वारा पकड़े गये दो चोरों को सीमा द्वारा छुड़वाने का प्रयास करने का मामला ठंडा भी नहीं हुआ था कि वे एक बिजली चोर को बचाने पहुंच गयीं।

दिनांक 27 जुलाई को बिजली विभाग की एक महिला एसडीओ संगीता रानी के नेतृत्व में छापा मार टीम ने मकान नम्बर 2 ई/42 पर छापा मारा। यह मकान विधायक सीमा की खास सहयोगी आशा भाटिया का है जो नगर निगम पार्षद का चुनाव लड़ चुकी है। छापा मार टीम ने मीटर में भारी गड़बड़ी पाई और उन पर करीब 355822 रूपए जुर्माना लगा दिया। बताया जाता है कि मीटर 4 किलोवाट का लगा था जबकि लोड करीब 14-15 किलो वाट चल रहा था।

छापे से घबराई हुई आशा भटिया ने तुरन्त अपनी संरक्षक सीमा त्रिखा को फ़ोन किया। सीमा ने महिला एसडीओ को मिलने एवं बात-चीत करने हेतु आशा भटिया के घर पर आने को कहा। एसडीओ ने उस घर में जाने से साफ़ इन्कार कर दिया। इसके बाद सीमा ने अनंद कांत भाटिया के घर पर मीटिंग रखनी चाही तो आनंद कांत ने अपने घर पर मीटिंग रखने से मना कर दिया। इसी तरह स्थानीय पार्षद मनोज नासवा ने भी अपने घर पर मीटिंग से मना कर दिया। हार कर सीमा ने मकान नम्बर 2 ई/81 में रहने वाले योगराज भाटिया के घर पर मीटिंग रखी। वास्तव में योगराज को नहीं पता था कि सीमा त्रिखा उनके घर पर क्यों आ रही हैं।

योगराज के घर पर करीब डेढ-दो घंटा चली मीटिंग में सीमा त्रिखा, स्थानीय पार्षद मनोज नासवा व आनंद कांत भाटिया भी शामिल रहे। इस मीटिंग में संगीता रानी पर केस को रफ़ा-दफ़ा करने का पूरा दबाव बनाया। परन्तु एसडीओ ने अपने जेई की मौजूदगी में यह कहते हुये साफ़ इन्कार कर दिया कि वे तो जो कुछ करना था कर चुकी हैं, अब आगे जो कुछ करना है उच्च अधिकारियों ने ही करना है। आप उन्हीं से बात करें।

यह जवाब बिल्कुल वैसा ही था जैसा कि पुलिस वालों ने चोर छुड़ाने के लिये गई इस विधायक को दिया था। लेकिन यहां सीमा का सिक्का कुछ हद तक चल पाया जब उन्होंने इलाके के एक्सियन ढुल को फ़ोन किया। जानकारों के मुताबिक ढुल ने केस को ठंडे बस्ते में रखकर दबाने का कुछ प्रयास किया। लेकिन बात विजिलेंस तक पहुंच गयी तो ढुल को भी पसीने आ गये। मजबूरन खुल के पूरी कार्यवाही करनी पड़ी। फिलहाल 186375 रूपए की वसूली बिजली चोर से हो चुकी है लेकिन अभी तक ढुल ने पुलिस को एफआईआर दर्ज कराने बाबत तहरीर नहीं भेजी है जोकि कानून की उल्लंघना है। जाहिर है एक्सईएन ढुल यह उल्लंघना विधायक सीमा के दबाव में कर रहे हैं। देखना है कि वह कब तक तहरीर नहीं भेजते। पुलिस में एफआईआर भी दर्ज करा दी गई है

किसी भी क्षेत्र का विधायक अपनी जनता का प्रतिनिधित्व करके उनकी समस्याओं का समाधान करने के लिये होता है न कि चोर उच्चकों को छुड़वाने के लिये। लेकिन लगता नहीं कि विधायक सीमा के पास चोर उच्चकों को छुड़वाने के अलावा और भी कोई काम है।

टोल लूट के खिलाफ जनता लगी उठने

फ़रीदाबाद (म.मो.) शहर से बाहर निकलने की हर दिशा में टोल लुटेरों ने शिकंजा कस रखा है। ये लुटेरे कोई छोटे-मोटे नहीं बल्कि हज़ारों करोड़ की कम्पनियां चलाते हैं। बाकायदा घूसखोर एवं जनविरोधी सरकारों को मोटा चढावा देकर लूट को कानूनी जामा पहनाते हैं, जिसका ना इकरारनामा रखा जाता है।

फ़िलहाल शहर की जनता को बदरपुर बॉर्डर पर बने लूट प्लाज़ा के विरोध में लामबंद करने के लिये लोक अधिकार मंच ने बीड़ा उठा लिया है। इसके मुखिया संजीव चौधरी एडवोकेट एवं पूर्व अध्यक्ष ज़िला बार एसोसिएशन ने इस बाबत रविवार 5 अगस्त को एक पत्रकार वार्ता का आयोजन किया। उन्होंने बताया कि पुल बनाने वाली एचसीसी (हिन्दुस्तान कंस्ट्रक्शन कम्पनी) ने इसकी अनुमानित लागत सन 2008 में 340 करोड़ रुपये बताई थी। इसी लागत के आधार पर तत्कालीन केन्द्र सरकार व कम्पनी के बीच टोल टैक्स का इकरारनामा तैयार हुआ था। लेकिन बेइमानों एवं लुटेरों द्वारा चलाई जाने वाली व्यवस्था में मात्र दो साल बाद यानी 2010 में पुल की लागत 600 करोड़ बता दी गयी। जाहिर है यह लागत बढा-चढा कर इसलिये बताई गयी थी ताकि टोल टैक्स के इकरारनामे में कम्पनी अपने हक में बेहतर संशोधन करा सके।

इकरारनामे के अनुसार कम्पनी तब तक टोल वसूलती रहेगी जब तक इसकी लागत, लागत पर ब्याज, वसूली पर होने वाला खर्च पूरा न हो जाये। इकरारनामे में यही पेच जानबूझ कर रखे जाते है। पहला तो यह कि वह अपनी कुल लागत को ही खूब बढा-चढा कर बताती है। ब्याज दर तो सरकार तय कर सकती है परन्तु टोल वसूली पर होने वाला खर्च कम्पनी स्वयं निर्धारित करती है। ये सब मिला कर कुल रकम इतनी हो जाती है कि यह कभी भी पूरी नहीं हो सकती।

यद्यपि संजीव चौधरी ने यह नहीं बताया कि कम्पनी टोल टैक्स वसूली पर कितना खर्च कर रही है और इस वसूली का तरीका क्या है। जानकार बताते हैं कि एचसीसी ने टोल वसूली के लिये अपनी ही एक फ़र्जी कम्पनी खड़ी कर रखी है जिसमें बाकायदा डायरेक्टर्स, मैनेजर्स आदि-आदि होते हैं जिनकी भारी भरकम तनख्वाहें होती हैं। फ़र्जी कम्पनी का बजट इस हिसाब से बनाया जाता है कि टोल टैक्स से आने वाली आय का एक बड़ा हिस्सा इस फ़र्जी कम्पनी पर ही खर्च होता रहे। इस तथ्य की पुष्टि एनएचएआई (राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण) के प्रोजेक्ट मैनेजर मोहम्मद सैफ़ी के उस बयान से होती है जिसमें वह कहते हैं कि अभी तक पुल की लागत का मात्र 20 प्रतिशत ही वसूला जा सका है।

संजीव चौधरी के अनुसार बीते आठ साल में कम्पनी करीब 1600 करोड़ वसूल चुकी है और उसके बावजूद अभी तक कुल लागत का मात्र 20 प्रतिशत ही पूरा हुआ है, यह अपने आप में ही एक बड़ा घोटाला साफ़ नज़र आ रहा है। संजीव के अनुसार एक लाख वाहनों से रोज़ाना टोल वसूला जाता है जबकि कम्पनी मात्र 48000 वाहनों की बात करती है। इनमें से भी 40000 कारें व 8000 भारी वाहन हैं। कार से 25 रुपये मध्य वाहन से 38 तथा भारी वाहन से 76 रुपये प्राप्त होते हैं। वास्तविकता क्या है, इसे जानने के लिये संजीव ने 'कैग' द्वारा ऑडिट करने की मांग की है। इससे सारा घोटाला व सच्चाई सामने आ जायेगी।

वार्ता के दौरान संजीव, स्थानीय सांसद एवं केन्द्रीय मंत्री कृष्णपाल गूजर के उस जुमले की याद दिलाना नहीं भूले जो गूजर ने लोकसभा का चुनाव लड़ते वक्त इस्तेमाल किया था। उस वक्त उन्होंने इस टोल को 'जजिया' बताया था। जजिया किसी मुगल बादशाह द्वारा लगाया गया वह कर होता था जो गैर मुसलमानों से वसूला जाता था। गूजर जी उस समय ताल ठोक-ठोक कर कहते थे कि यदि उनकी सरकार बनी तो वे कांग्रेस द्वारा लगाये गये इस 'जजिया' कर को समाप्त कर देंगे। बिल्ली के भागों छीका टूटा और वे खुद सड़क मंत्रालय में राज्यमंत्री भी हो गये। उन्होंने गिरगिट को भी मात देते हुये रंग बदला और कहना शुरू कर दिया कि यह तो कांग्रेसी सरकार द्वारा किया गया एक अनुबंध है जिसे उनकी सरकार तोड़ नहीं सकती। हकीकत यह है कि जनविरोधी अनुबंध तैयार करने के नाम पर मोटा चढावा डकारा था कांग्रेसी ने और उसे बरकरार रखने के नाम पर डकार रही है भाजपा।

इस लूट प्लाजा से छुटकारा पाने के लिये संजीव एक ओर तो महापंचायत एवं जनआंदोलन की बात करते हैं दूसरी ओर अदालत में जाने की बात भी। यदि इस देश की अदालतें किसी लायक होतीं तो आज जनता को इस तरह की समस्याओं से दो-चार न होना पड़ता। अदालतों में गये तो फ़िर कभी न खत्म होने वाला सिलसिला शुरू हो जायेगा। किसी समस्या को हल करने का रास्ता इस देश में जन-आंदोलन ही बेहतर समझा जाता है। इस भाषा को सरकार भली-भांति समझती है। महाराष्ट्र के पूना राजमार्ग पर अभी पिछले दिनों वहां के लोगों ने इसे बखूबी सिद्ध भी करके दिखाया है।

इकरारनामों की बदलती परिभाषा

दो-तीन दशक पहले तक सड़क एवं पुल निर्माता कम्पनी से जो इकरारनामा सरकार करती थी, उसके अनुसार निर्माता कम्पनी को एक तय समय सीमा दी जाती थी जिसमें वह निर्माण कार्य भी पूरा करती थी और वसूली भी। उदाहरणार्थ हरियाणा की बंसीलाल सरकार ने बाटा रेलवे पुल के निर्माण का जो अनुबंध किया था उसके अनुसार कुल 9 वर्ष में कम्पनी निर्माण कार्य भी पूरा करेगी और टोल वसूली भी। यह निर्माता कम्पनी के ऊपर था कि वह निर्माण कार्य एक वर्ष में पूरा करके 8 वर्ष तक वसूली करे या फ़िर 8 वर्ष में काम पुरा करके एक वर्ष में वसूली करे। जाहिर है ऐसे में कोई भी कम्पनी निर्माण कार्य में कम से कम समय लगाकर वसूली को अधिक से अधिक समय देती थी।

परन्तु अब तो सिस्टम ही सारा उथल-पुथल हो चुका है। भ्रष्टाचार की सभी हदें पार करते हुये सरकार ऐसे अनुबंध करती है जो कम्पनी सारी उम्र जनता से वसूली करती रहे फ़िर भी उसकी लागत पूरी न हो।